प्रपत्र (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (8)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए./13/166 दिनांक 04.10.13

संपरिवर्तन आदेश

स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही ।
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	गोविन्दगढ, गोविन्दगढ, चौमूं।
(ख) भूमि का खसरा स0 एवं प्रत्येक ख0 स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 ।
(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 मे से कुल 0.25 है0 अर्थात कुल 2500 व0मी0।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर	56.46/- प्र0व0मी0
6. चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 84 दिनांक 27.06.2013 जमा दिनांक 27.06.2013 से रु0 25000/-एव चा.न. 216 दिनांक 13.09.2013 जमा दिनांक 13.09.2013 से रु0 116150/- कुल रु0 141150/-
7. चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8. चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	---
10. अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	रूपान्तरित ख0न0 की भूमि में से [illegible] भवननिर्माण के मापदण्डानुसार [illegible]

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 मे यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी की विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. आवेदित भूमि मे से एच0टी0 लाईन गुजर रही है जिसे अन्यत्र स्थान्तरित करवा कर ही रूपान्तरित भूमि का अकृषिक उपयोग किया जा सकेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जायेगा ।
7. आवेदित भूमि मे से इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का राज्य पक्ष मे निशुल्क समर्पण करना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. तत्समय भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 व इस सम्बन्ध मे जारी अन्य परिपत्रो/निर्देशो की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक राम/13/ 167-170 दिनांक 07.10.13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व/रा. ले.) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूं।
3. ग्राम पँचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353235

श्री गणेशाय नमः

बक्शीश-नामा

हम (1) बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट उम्र करीब ४५ वर्ष, (2) श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह उम्र करीब ४२ वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूं जिला जयपुर राज्य राजस्थान के रहने वाले है।

संतोष

.... 2396 .... दिनांक 4/2/2053

पुस्तक का मूल्य .... 70 / 20000

नाम .... [illegible] शिक्षा प्रचार शोध संस्थान

पिता/पति का .... [illegible]

पता .... [illegible]

पुस्तक खरीदने का .... [illegible]

[illegible]

[illegible]

राजस्थान [illegible]

अधिकृत [illegible]

चौमूं (जयपुर)

[illegible] R127/1830

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353196

(2)

जो कि ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे हमारी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

सारणी नम्बर–1

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1–	1168 / 1773 / 2	0.29 हैक्टेयर	बारानी–2

उपरोक्त सारणी नम्बर–1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर– 1168 / 1773 / 2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी

2398 ... 7/2/2013
... 200000/-
... प्रधानाध्यापिका/उच्च [illegible]
... गोविन्दगढ़ ...
[illegible]

[illegible]
कार्यालय [illegible]
अधिकृत [illegible]
[illegible]
... R127/1238

आज दिनांक 8 माह February सन् 2013 को 14:12 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BAJRAGH SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANGU RAM
उम्र 45 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय AGR
निवासी GOVIND GARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013002200)
(Gift Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU

रसीद नं0 2013001759 दिनांक 08/02/2013
पंजीयन शुल्क रू0 50000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 51330/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 313300/-
कुल योग रू0 414930/-

(2013002200)
(Gift Deed)

उप पंजीयक, CHOMU

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) 1-BAJRAGH SINGH /GANGU RAM Age:45, Caste-JAT Ocu.-AGR R/O-GOVIND GARH			

उप पंजीयक- चौमूं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353197

(3)

राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञ नम्बर–1 बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

सारणी नम्बर–2

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1–	1168 / 1773 / 1	0.07 हैक्टेयर	बारानी–2
2–	1169 / 1774	0.05 हैक्टेयर	बारानी–2

2394 ... 5/2/2013

70 / 200000

[illegible]

R127/2034

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
2-SANTOSH DEVI /BAJRANG SINGH Age:42, Caste-JAT Ocu.-AGR R/O-GOVIND GARH			
(And Claimant) 1-KUMARI LXMI BADHALA SHIKSHAN JARIY BAJRAGH CHOHAN /PURAN MAL Age:66, Caste-NAI Ocu.-SER. R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH) R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH)			

ने लेख्यपत्र Gift Deed

को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन वार्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री BABU LAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MALI RAM उम्र 32 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी GOVIND GARH

2. श्री / श्रीमती / सुश्री NAND KISHOR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री GHASI RAM उम्र 35 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी GOVIND GARH ने की है जिनके

नन्दकिशोर

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये है।

(2013002200)
(Gift Deed)

उप पंजीयक, CHOMU

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353198

(4)

3–	1170 / 1805	0.17 हैक्टेयर	बारानी–2
योग :–	3	0.29 हैक्टेयर	

उपरोक्त सारणी नम्बर–2 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञ नम्बर–2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

संतोष

2316 [illegible] 8/2/2013
[illegible] कुल मूल्य 70
200000
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] चौमू [illegible]
[illegible] R127/1038

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 10266000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 313300 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 50000 कुल रूपये 414930
जरिये रसीद संख्या 2013001759 दिनांक 08/02/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 513300
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013002200)
(Gift Deed)

उप पंजीयक, CHOMU

आज दिनांक 08/02/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 444
में पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 2013001697 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1556
के पृष्ठ संख्या 349 से 361 पर
चस्पा किया गया।

(2013002200)
(Gift Deed)

उप पंजीयक, CHOMU

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.20000
बीस हजार रुपये
TWENTY THOUSAND RUPEES
Rs.20000
सत्यमेव जयते
INDIA
राजस्थान RAJASTHAN

353199

(5)

अतः हमको उपरोक्त वर्णित हमारी खातेदारी भूमि को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारो सहित हस्तान्तरित, बख्शीश आदि करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रतिज्ञ नम्बर–1 श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरणः से प्रेरित होकर उक्त सारणी नम्बर–1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर–1168/1773/2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को एवम् प्रतिज्ञ नम्बर–2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरणः से प्रेरित होकर उक्त सारणी नम्बर–2 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण

सन्तोष

क्रमांक 2398 दिनांक 5/3/2013

स्टाम्प का कुल मूल्य 10

200000/-

नाम ... चौधरी ... [illegible] विक्रेता/क्रेता ... शिक्षा प्रबन्ध शोध संस्थान

द्वारा ... गोविन्दपुर

मुद्रांक खरीदने का प्रयोजन [illegible]

... — काशीराम

[illegible signature]

[illegible] कुमार [illegible]

अधिकृत [illegible] विक्रेता

[illegible]

[illegible] 127 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353200

(6)

को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवम् अधिकारो सहित को मय बोल, डोल सूल, पानी–पूला, वृक्ष आदि सहित को **स्व०कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ़ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान निवासी -कालू का बास, ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)** के हित मे कतई बख्शीश करते है। तथा उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त बख्शीश ग्रहिता को जाकर करा दिया है। अब उक्त बख्शीश ग्रहिता को नामान्तकरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चूके है। यदि इस सम्बन्ध मे हमारे लिखित अथवा मौखिक बयान एवं

क्रमांक 2398 दिनांक 5/7/2052

स्टाम्प का कुल मूल्य 20/-

200000/-

नाम स्व. कुमारी लक्ष्मी [illegible] शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति [illegible]

पता [illegible]

स्टाम्प खरीदने का [illegible] सम्बन्धित

पार्टी [illegible]

[illegible]

राजकमल [illegible] स्टाम्प [illegible]

[illegible] विक्रेता

[illegible]

[illegible] 127/1023

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

35317

(7)

शहादत की आवश्यकता होगी या पडेगी तो हम बख्शीश ग्रहिता का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य रहेंगे।

अब हमारा व हमारे उत्तराधिकारियो का उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही रहा है और न ही भविष्य मे रहेगा। यदि इस बख्शीश पत्र के खिलाफ हमारा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा उज्रदारी उठायेंगे तो उनका तस्फिया भी हम बख्शीश कर्तागण स्वयं अपने खर्चे के साथ करेंगे।

आज तक उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी

संतोष

क्रमांक 2358 दिनांक 8/2/2023

स्टाम्प का कुल मूल्य 200000/-

नाम केन्द्रीय तिब्बती ... शिक्षा प्रबन्ध शोध संस्थान

पिता/पति का नाम ...

पता सोहिंदपुर

स्टाम्प खरीदने का कारण तथा संबंधित

पक्ष — वाराणसी —

रविशंकर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353179

(8)

अथवा बक्शीश अनुबन्धित है। बख्शीश की गई भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है । आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी हम बख्शीश कर्त्ता स्वयं करेंगे।

इस बख्शीश नामा से पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार हम बख्शीश कर्तागणो को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस बख्शीश नामा के उक्त बख्शीश ग्रहिता को प्राप्त हो गये है। बख्शीश ग्रहिता उक्त बख्शीश की गई आराजी भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे, अपने नाम से लगान जमा करावे, इत्यादि।

बख्शीश की गई भूमि की स्थिती :-

यह कि उक्त बक्शीश की गई आराजीयात भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। बक्शीश की गई भूमि मे कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही है।

सतीश

क्रम 2314 दिनांक -8/2/2013

स्टाम्प का कुल मूल्य 10

नाम जनक शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम ... द्वारा ... गोविन्दपुर

स्टाम्प खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

पक्ष — तमशीलसंघ

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

लाइ. नं. [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353180

(9)

यह कि हमने उक्त आराजीयात भूमि की बख्शीश अपनी अन्तःआत्मा से प्रेरित होकर स्व0 कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ जिला जयपुर के हक मे किया है। हमने कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया है। हमारी उक्त बख्शीश को उक्त संस्थान की और से संस्थान के अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान ने सहर्ष स्वीकार कर इस लेख पत्र मे अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

इस बख्शीश नामा का समस्त खर्चा बख्शीश ग्रहिता द्वारा वहन किया गया है।

अतः यह बख्शीश नामा हमने हमारी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष

संतोष

क्रमांक २३५४ दिनांक ८/२/२०२३

मुद्रांक का कुल मूल्य १० / १०००००

नाम केसर कुमारी स्मृति महिला शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम

पता चौमूं जयपुर

मुद्रांक खरीदने का कारण तथा सम्बन्धित

पक्षी [illegible]

[illegible]

रामप्रसाद गुप्ता
अधिकृत स्टा. विक्रेता
मु.: चौमूं (जयपुर)
ला. नं. R127/1038

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353181

(10)

सोच समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 2,00,000/–रूपये के स्टाम्प कीमती किता दस पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति०

हस्ताक्षर बख्शीश कर्तागण :-

मुझे उपरोक्त बख्शीश सहर्ष स्वीकार है :-

बजरंगलाल चौहान
अध्यक्ष
स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़, (जयपुर)

हस्ताक्षर गवाहान मय पता :-

1–

2–

क्रमांक 2398 दिनांक 8/2/2052

स्टाम्प का कुल मूल्य 90/200000

नाम [illegible] शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम [illegible]

पता [illegible]

स्टाम्प खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

पक्षों [illegible]

[illegible]

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

तह० चौमू (जयपुर)

लाइ० नं० R127/1038